सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

वित्त विभाग

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट

2015-16

अप्रैल, 2015

प्राक्कथन

राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है, राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए वचनबद्ध है । यह विवरण उन योजनाओं के बजट प्रावधान का संकलन है जो मुख्यतः बच्चों के कल्याण के लिए हैं । इनमें शैक्षिक परिव्ययों, बालिकाओं के लिए विशिष्ट योजनाओं, स्वास्थ्य, तथा बाल सुरक्षा आदि के लिए प्रावधानों को शामिल किया गया है ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट से संबंधित विवरणी की शुरूआत वर्ष 2013-14 में की गयी थी । वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विभागों द्वारा बाल कल्याण योजनाओं पर व्यय किए जाने हेतु बजट प्रावधान का उल्लेख किया जा रहा हैः-

1. कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।
2. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ।
3. शिक्षा विभाग ।
4. समाज कल्याण विभाग ।
5. श्रम संसाधन विभाग ।
6. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ।
7. स्वास्थ्य विभाग ।
8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

(राशि लाख रूपए में)				
क्रम सं०	विभाग का नाम	बजट 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	बजट 2015-16
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	344.00	344.00	644.00
2	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	108405.84	108405.84	146616.72
3	शिक्षा विभाग	1039661.59	1099911.19	1040087.83
4	समाज कल्याण विभाग	248985.50	252532.20	178011.90
5	श्रम संसाधन विभाग	189.15	189.15	250.00
6	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	60964.77	63569.58	77716.93
7	स्वास्थ्य विभाग	15492.54	15492.54	32248.72
8	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1500.00	1300.00	1100.00
	कुल योग-	**1475543.39**	**1541744.50**	**1476676.10**

नोट :- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं में विभागवार उपशीर्षवार प्रावधानित राशि संबंधित उपशीर्ष में कुल प्रावधानित राशि से कम भी हो सकती है ।

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - कला संस्कृति एवं युवा विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	बजट 2015-16	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	N 2204001040001	विद्यालय खेलकूद	144.00	144.00	144.00	गैर योजना	**वर्ष 2014-15 की उपलब्धि** विद्यालय खेल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हेतु 14, 17 एवं 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं को सम्यक प्रशिक्षण के उपरांत निम्नांकित राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता सुनिश्चित की गयी :- 1. 2-8 जनवरी, 2015 दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हैण्डबॉल/ भारोत्तोलन/ कुश्ती प्रतियोगिता । 2. 3-7 जनवरी, 2015 राँची में आयोजित राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता । 3. 7-11 जनवरी, 2015 गुलबर्ग, कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय लॉनटेनिस प्रतियोगिता । 4. 7-11 जनवरी, 2015 इन्दौर, मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता । 5. 10-14 जनवरी, 2015 रंगारेड्डी, तेलंगाना में आयोजित राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता । 6. 19-23 जनवरी, 2015 देवल, मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय ताईक्वांडो प्रतियोगिता । 7. 19-23 जनवरी, 2015 कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता । 8. 21-24 जनवरी, 2015 गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता । **वर्ष 2015-16 का लक्ष्य :** विद्यालय खेल के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता हेतु 14, 17 एवं 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं को सम्यक प्रशिक्षण के उपरांत निम्नांकित राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता का लक्ष्य है ।
2	P 2204001040102	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत खेल प्रशिक्षण	200.00	200.00	500.00	राज्य योजना	**वर्ष 2014-15 की उपलब्धिः** मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को 15 (पन्द्रह) एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया गया । **वर्ष 2015-16 का लक्ष्यः** 30 (तीस) प्रशिक्षण केन्द्रों में आधुनिक खेल प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य/राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाडियों को तैयार करने का लक्ष्य है ।
		योग-	**344.00**	**344.00**	**644.00**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	बजट 2015-16	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2225031970101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति (197 ब्लॉक पंचायत)	12500.00	12500.00	12500.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10,41,668 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
2	P 2225032770101	उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति	5778.00	5778.00	9200.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 7,67,000 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
3	P 2225032770101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति (ग्राम पंचायत)	27500.00	27500.00	23827.46	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 19,85,622 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
4	P 2225032770101	प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति	57292.00	57292.00	92500.00	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को वर्ग 1 से 10 तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 77,09,000 छात्र/ छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

5	P 4225032770101	जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग छात्रावास	500.00	500.00	1500.00	राज्य योजना	उच्च विद्यालय एवं उपर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए यह योजना संचालित है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए 100 आसन वाले जननायक कर्पुरी ठाकुर छात्रावासों के निर्माण के पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार 5 छात्रावासों के निर्माण पर व्यय होने की संभावना है ।
6	P 2225032770101	मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना	4000.00	4000.00	6000.20	राज्य योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रथम श्रेणी से मैट्रिक उत्तीर्ण होने पर 10000/-रूपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 60,002 छात्र/ छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
7	N 2225032770010	12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	725.83	725.83	977.20	गैर योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए 12 आवासीय कन्या उच्च विद्यालय संचालित हैं । जिसमें वर्ग 6 से 12 की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रत्येक आवासीय विद्यालय में प्रतिवर्ष 280 छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी ।
8	N 2225032770002	छात्रावासों का संधारण	110.01	110.01	111.86	गैर योजना	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछ़ड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास संचालित है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना अंतर्गत राज्य में संचालित 6 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों के संधारण एवं इसमें सृजित स्थायी पदों के वेतन एव भत्ते मद में राशि व्यय होगी ।
		योग-	**108405.84**	**108405.84**	**146616.72**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी -
विभाग - शिक्षा विभाग

(राशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2014–15	संशोधित बजट 2014–15	बजट 2015–16	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2202011120203 P 2202017890306	मध्याह्न भोजन योजना	168229.00	168229.00	209064.00	राज्य योजना (केन्द्रांश एवं राज्यांश)	कक्षा एक से आठ तक पढ़ने वाले सभी छात्र/छात्राओं को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2	P 2202010010107	किलकारी	250.00	250.00	68184.00	राज्य योजना	किलकारी द्वारा 9 से 16 आयु वर्ग तक के बच्चों की सृजनशीलता को उभारने हेतु तनावरहित एवं आनंदमय वातावरण में उनकी अभिरूचि के अनुसार मंगलवार से शनिवार प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका संक्ष्प्ति विवरण निम्नांकित हैः- 1. नियमित प्रशिक्षण- शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, चित्रकला, क्राफ्ट, मूर्तिकला, कराटे, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, शतरंज, विज्ञान, लेखन, नाटक आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है । 2. प्रकाशन- किलकारी के बच्चों द्वारा हर माह बाल किलकारी नामक मासिक अखबार, बच्चों से संबंधित किताबें, ब्रोशर, मॉड्यूल इत्यादि सामग्री की प्रकाशन की योजना । 3. गुल्लक (बच्चा बैंक)- बच्चों द्वारा बचत की जाने वाली राशि की जमा योजना । 4. फोटोग्राफी- बच्चों में देखने-समझने के नजरिए को विकसित करने की योजना । वर्तमान में बच्चे बिहार की गुफाओं का शैक्षणिक भ्रमण कर फोटोग्राफी कर रहे हैं । इसके उपरांत पुस्तक निर्माण की योजना । 5. चलंत पुस्तकालय- बाल भवन की गतिविधियों से सरकारी विद्यालयों एवं स्लम के बच्चों को जोड़ने की योजना । 6. पुस्तकालय (मस्ती की पाठशाला)-बच्चों के बौद्धिक एंव शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। 7. किलकारी की शाखाएं-प्रमंडल स्तर पर 2 बाल भवनों गया तथा भागलपुर की स्थापना, जिससे बिहार के अन्य बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। 8. किलकारी के वार्षिक आयोजन - बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव, समर कैंप, बालश्री, राष्ट्रीय बाल लोक नृत्य महोत्सव आदि का योजना। 9. किलकारी की अन्य परियोजनाएं- (क) टाटा दोराबजी के फंड से पटना के 10 सरकारी विद्यालयों में तथा अन्य जिलों कैमूर, सहरसा, गया मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा धरहरा (भागपुर) में तीन-तीन घंटे बाल केन्द्र का संचालन। (ख) युनिसेफ के सहयोग से वैशाली जिले में बाल संसद परियोजना का संचालन। (ग) युनिसेफ के सहयोग से वैशाली जिले में बाल संसद परियोजना का संचालन। ‘‘ वित्तीय व्रर्ष 2014-15 में बिहार बाल भवन, किलकारी, पटना में 2800, प्रमंडल स्तर बाल भवन में 2203, बाल केन्द्र परियोजना में 967, यूनिसेफ एवं समाज कल्याण में 558 बच्चे लाभान्वित हुए।
3	P 2202011110101 P 2202011110201 P 2202011110301	सर्व शिक्षा अभियान	678894.59	706272.19	525549.22	राज्य योजना (केन्द्रांश एवं राज्यांश)	नये विद्यालय भवनों का निर्माण, अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं शौचालय, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा 6 से 14 उम्र वाले सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है।
4	P 2202011090101	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (सामान्य कोटि)	21400.00	32120.00	59900.00	राज्य योजना	प्राथमिक विद्यालयों के वर्ग 3 से 5 में नामांकित सामान्य कोटि के प्रत्येक छात्र/छात्रा को दो जोड़े स्कूल पोशाक तथा एक जोड़ा जूते खरीदने के लिए 500/-रू0 नगद उपलब्ध कराया जाता है।
5	P 2202017890102	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (अनुसूचित जाति)	4600.00	7280.00	40000.00	राज्य योजना	प्राथमिक विद्यालयों के वर्ग 3 से 5 में नामांकित अनुसूचित जाति के प्रत्येक छात्र/छात्रा को दो जोड़े स्कूल पोशाक तथा एक जोड़ा जूते खरीदने के लिए 500/-रू0 नगद उपलब्ध कराया जाता है।

6	P 2202011090102	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	15400.00	25400.00	20000.00	राज्य योजना	प्राथमिक विद्यालयों के वर्ग 6 से 8 में नामांकित प्रत्येक छात्रा को दो जोड़े स्कूल पोशाक तथा एक जोड़े जूते खरीदने के लिए 700/-रू0 नगद उपलब्ध कराया जाता है।
7	P 2202011090103	मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण	2873.00	5845.00	5845.00	राज्य योजना	छात्र/छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय को प्रति वर्ष 10,000/- रू0 शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जाता है।
8	P 2202021070105	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (सामान्य कोटि)	14450.00	15950.00	10000.00	राज्य योजना	नवम वर्ग के विद्यालयों में सामान्य कोटि के नामांकित छात्रों को 2500/-रू0 प्रति छात्र की दर से साइकिल क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।
9	P 2202027890101	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (अनुसूचित जाति)	2550.00	2550.00	9100.00	राज्य योजना	नवमी वर्ग की विद्यालयों में अनुसूचित जाति के नामांकित छात्रों को 2500/-रू0 प्रति छात्र की दर से साइकिल क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।
10	P 2202021070106 P 2202027890102	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	16500.00	16500.00	24000.00	राज्य योजना	नवम वर्ग में विद्यालयों में नामांकित छात्राओं को 2500/-रू0 प्रति छात्रा की दर से साइकिल क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।
11	P 2202021070107 P 2202031070104	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	15000.00	15000.00	17451.36	राज्य योजना	वर्ग 9 से 12 में नामांकित प्रत्येक छात्रा को दो जोड़ी स्कूल पोशाक एवं एक जोड़ी जूते के क्रय हेतु 1000/-रू0 नगद उपलब्ध कराया जाता है।
12	P 2202021070108	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	25000.00	25000.00	11400.00	राज्य योजना	दसवें वर्ग की बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को रू0 10,000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
13	P 4202012020211 P 2202021090307	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	18365.00	18365.00	7937.00	राज्य योजना	नया माध्यमिक विद्यालय खोलना, भवन, वर्ग कक्ष एवं शौचालय का निर्माण तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा बच्चों को माध्यमिक स्तर की गुणवता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सम्मिलित है।
14	P 4202012020103	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	56150.00	61150.00	29157.25	राज्य योजना	आर्थिक रूप से पिछड़े प्रत्येक प्रखंड में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण एवं प्रत्येक प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर मॉडल स्कूल विकसित किया जा रहा है।
15	P 2202021090105	आई0 सी0 टी0 परियोजना	0.00	0.00	2500.00	राज्य योजना	कक्षा 09 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है।
16	P 2204001010103	मध्य विद्यालय की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.00	150.00	10.00	राज्य योजना	मध्य विद्यालयों को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान दिया जाता हे।
17	P 2204001010108	बिहार सबजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग	0.00	200.00	450.00	राज्य योजना	जूनियर बालक/बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स हेतु सबजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम हेतु अनुदान दिया जाता है।
18 19	P 2202017890308 P 2202087960109	सर्व शिक्षा अभियान	0.00	9655.41	109264.66	राज्य योजना	अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र उपयोजना को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा बाल कल्याण हेतु आवंटित की जाती है।
20	P 2202011090105	प्रारंभिक विद्यालयों मे छात्रवृत्तियॉं	0.00	0.00	8317.33	राज्य योजना	प्रारंभिक विद्यालयों मे छात्रवृति हेतु छात्रवृत्तियॉं तथा प्रोत्साहन मद में राशि का आवंटन
21	P 2202010010107	बिहार बाल भवन को अनुदान	0.00	250.00	300.00	राज्य योजना	बाल भवन के निर्माण संचालन आदि के लिए अनुदान दिया जाता है।
22	N 2202011090004	प्रोत्साहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्सव	0.00	1740.00	1740.00	गैर योजना	बालक/बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्सव के आयोजन किया जाता है।
		योग :-	**1039661.59**	**1099911.19**	**1040087.83**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - समाज कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	बजट 2015-16	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2235021020323	समेकित बाल संरक्षण योजना	1000.00	1400.00	500.00	राज्य योजना (राज्यांश)	इस योजना के महत्वपूर्ण घटकों में राज्य एवं जिला बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बच्चों के लिए खुला आश्रय, दत्तक ग्रहण समन्वय संस्था, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद आदि की स्थापना हैं ।
2	P 2235021020223	समेकित बाल संरक्षण योजना	3000.00	1023.00	1124.00	राज्य योजना (केन्द्रांश)	
3	P 2235021060107	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना (बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग)	180.00	200.00	200.00	राज्य योजना	बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना ।
4	P 2235021060106	बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (बाल संरक्षण इकाई)	950.00	1200.00	1000.00	राज्य योजना	राज्य बाल संरक्षण इकाई एवं जिला बाल संरक्षण इकाई का संधारण ।

5	P 2235021030111 P 2235027890109	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	1200.00	13200.00	4540.00	राज्य योजना	गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों में कन्या के जन्म पर 2000/- रूपए की राशि एकमुश्त अनुदान देने का प्रावधान है ।
6	P 2235021020116	परवरिश	240.00	1000.00	250.00	राज्य योजना	अभिवंचित संतानों के पालन-पोषण, देखरेख, संरक्षण व उनकी सामाजिक सुरक्षा को समुदाय स्तर पर ही उनके परिवार, अभिभावकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता की योजना ।
7	P 2235027890103	आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों का पोशाक (विशेष घटक)	2757.67	2757.67	1779.14	राज्य योजना	आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना अंतर्गत कुल 3558280 बच्चों को रू० 250/- प्रति बच्चा प्रतिवर्ष की दर से राशि का प्रावधान किया गया है । (State Share- 100%)
8	P 2235021020117	आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों का पोशाक (सामान्य)	6138.03	6138.03	7116.56	राज्य योजना	

9	P 2235021020222	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०) स्थापना ISSNIP योजना सहित	82878.88	70642.51	6961.64	राज्य योजना-केन्द्रांश	कुल उपबंधित राशि में बच्चों के लिए केन्द्रांश मद में रू० 1811.32 लाख (ISSNIP) का संभावित व्यय प्रस्तावित है ।
10	P 2235021020322		9462.98	7885.55	48789.84	राज्य योजना-राज्यांश	कुल उपबंधित राशि में बच्चों के लिए राज्यांश मद में रू० 201.26 लाख (ISSNIP) का संभावित व्यय प्रस्तावित है ।
11	P 2236021010203 P 2236021010303 P 2236027890304 P 2236027960305	पूरक पोषाहार	132427.94	138335.44	105750.72	राज्य योजना-केन्द्रांश (50%) एवं राज्यांश (50%)	वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूरक पोषाहार मद में कुल उपबंधित राशि से 10319012 सामान्य/कुपोषित/ अतिकुपोषित बच्चों को लाभान्वित किया जाना है । (Central : State Share- 50 : 50)
12	P 2235021020119	स्वास्थ्य-पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (बाह्य संपोषित)	8750.00	8750.00	0.00	राज्य योजना	स्वास्थ्य-पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (बाह्य संपोषित) ।
		योग-	**248985.50**	**252532.20**	**178011.90**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - श्रम संसाधन विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	बजट 2015-16	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P2230011030103	बाल श्रमिक पुर्नवास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	189.15	189.15	250.00	राज्य योजना	बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा-3 के अनुसार 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिको का नियोजन प्रतिबंधित है । बाल श्रम उन्मूलन हेतु पूरे राज्य में धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रमिकों की विमुक्ति जारी है । विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को एक माह के राशन हेतु 1500 रूपये एवं वस्त्र हेतु 300 रूपये, आवश्यकतानुसार आहार पथ्य हेतु 50 रूपये एवं दवा हेतु 50 रूपये अर्थात् कुल 1900 रूपये का भुगतान किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में संबंधित जिला पदाधिकारियों को 1071 विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए 5000 रूपए प्रति बाल श्रमिक की दर से जिला पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करने हेतु कुल 53.55 लाख रूपए का आवंटन दिया गया ।
		योग-	**189.15**	**189.15**	**250.00**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी

विभाग - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	बजट 2015-16	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2225011970101 P 2225011980101 P 2225012770107 P 2225021970101 P 2225021980101 P 2225022770101 P 2225012770218 P 2225022770214	विद्यालय छात्रवृत्ति	44188.00	46797.81	58020.85	राज्य योजना (केन्द्रांश एवं राज्यांश)	वर्ग 1 से 10 तक के लगभग 43 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति विभिन्न दरों पर प्रदान की जाती है । मुशहर/ भुईयॉ के वर्ग 1 से 6 तक के बच्चों को उच्चतर दर पर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है ।
2	P 2225011980101 P 2225012770101 N 2225011980001 N 2225011970002 N 2225012770007	मुशहर छात्रवृत्ति	1965.00	1965.00	2290.00	राज्य योजना एवं गैर योजना	
3	N 2225011970001 N 2225012770007	अस्वच्छ छात्रवृत्ति	35.00	35.00	40.00	गैर योजना	वर्ग 1 से 10 तक के लगभग 15 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति ।
4	P 2225012770107 P 2225022770101	प्रावैधिकी छात्रवृत्ति	102.00	102.00	102.00	राज्य योजना	वर्ग 1 से 10 तक के लगभग 2 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति ।
5	N 2225012770003 N 2225022770004	आवासीय विद्यालय	11141.13	11136.13	11140.91	गैर योजना	80 आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ।
6	N 2225012770002 N 2225022770003	छात्रावास संधारण	1198.64	1198.64	1358.17	गैर योजना	138 छात्रावासों में आवासन की सुविधा ।
7	N 2225012770011 N 2225022770001	परीक्षाशुल्क प्रतिपूर्ति	85.00	85.00	85.00	गैर योजना	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की राशि का भुगतान किया जाता है ।
8	P 2225012770218 P 2225022770214	मेरिट उन्नयन योजना	0.00	0.00	180.00	राज्य योजना (केन्द्रांश)	9 वीं एवं 12 वीं छात्र/ छात्राओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था ।
9	P 2225012770107 P 2225022770101	मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना	2250.00	2250.00	4500.00	राज्य योजना	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण लगभग 52 हजार । छात्र/ छात्राओं को क्रमशः 10000/- रूपये एवं 8000/- रूपये की दर से मेधावृत्ति उपलब्ध कराना ।
		योग-	**60964.77**	**63569.58**	**77716.93**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - स्वास्थ्य विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	बजट 2015-16	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P2210012000209 P2210031100203 P2210012000309 P2210031100303	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	6751.04	6751.04	17735.42	राज्य योजना	इस नये कार्यक्रम के अन्तर्गत 0-18 वर्ष के बालक एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के क्रम में जन्मजात दोषों, विकासात्मक कमी वाले बच्चों, सामान्य बीमारियों से ग्रसित बच्चों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते बीमार बच्चों की सरकारी खर्च पर चिकित्सा एवं शल्य- चिकित्सा सम्पन्न किया जाना है ।
2	P2210012000209 P2210031100203 P2210012000309 P2210031100303	संस्थान आधारित नवजात शिशु देखभाल इकाई	198.06	198.06	329.06	राज्य योजना	बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक SNCU/NBSU/NBCC की स्थापना की जा रही है ।
3	P2210012000209 P2210031100203 P2210012000309 P2210031100303	नवजात शिशु की घर पर देखभाल	2000.00	2000.00	4000.00	राज्य योजना	नवजात शिशु एवं प्रसूता माँ की देखभाल हेतु गृह भ्रमण के जरिये आशा कार्यकर्त्ता द्वारा सेवा दी जा रही है। जच्चा-बच्चा के बीमारी की अवस्था में आशा द्वारा स्वास्थ्य संस्थान में भरती कराया जाता है, जहाँ उचित इलाज देकर सेवा प्रदान की जाती है।
4	P2210012000209 P2210031100203 P2210012000309 P2210031100303	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	5199.00	5199.00	5300.00	राज्य योजना	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत 10-19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक (AFHC) के माध्यम से प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक विकार, गैर-संचारित रोग एवं घरेलू हिंसा पर परामर्श दिये जाते है । Menstrual Hygiene कार्यक्रम के अंतर्गत आशाओं के द्वारा सेनेटरी नैपकिन सामाजिक विपणन के माध्यम से (प्रति पैकेट रु0 6 मात्र) किशोरियों को 9 जिलों (औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, कैमूर, वैशाली,रोहतास, मुजफ्फरपुर एवं सारण) में वितरित किया जा रहा है ।
5	P2210012000209 P2210031100203 P2210012000309 P2210031100303	एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC)	1344.44	1344.44	4884.24	राज्य योजना	अतिकुपोषित बच्चों को पोषण के संदर्भ में सामान्य रूप में स्थापित करने के लिए राज्य के 38 जिलों में पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित है ।
		योग-	**15492.54**	**15492.54**	**32248.72**		

बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान- विभागवार विवरणी
विभाग - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

(राशि लाख रूपए में)

क्रम सं०	विपत्र कोड	परियोजना	बजट 2014-15	संशोधित अनुमान 2014-15	बजट 2015-16	योजनावार व्यय की प्रकृति	अभ्युक्ति (योजना की संक्षिप्त जानकारी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P 2202021070210	अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (प्री-मैट्रिक)	1500.00	1300.00	1100.00	राज्य योजना (केन्द्रांश)	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के कल्याण हेतु इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2008-09 से प्रारंभ किया गया है ।
		योग-	**1500.00**	**1300.00**	**1100.00**		